

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बाहर से ही किया जाये जा  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बाहर नहीं।  
सम्बन्धित विषय पर यदि भूर्ज ने पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमाक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जाये जिससे सुविधा हो।



नाम : शूभीवर्णिती  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4558

दिनांक: 15/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के एस. शिक्षा महाविद्यालय, मौ. जिला- शिष्ट (09826356510) को  
सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ  
प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम  
1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, समाज कार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442841)
- (2) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. मुकेश कटारे, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर  
शुल्क, घटोंहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत तंत्या से प्राप्त अनुमति/अवापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिसर एवं  
पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की  
बियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने  
के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन हैं  
कि वे उक्त विधिवित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में बमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा  
करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दैरी के लिए गहाविद्यालय त्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना  
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति त्वयः निरस्त हो  
जायेगी और पुक्क निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण  
समिति का पुरानगत किया जायेगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यती लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की  
वर्तुलियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय  
होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर अग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण  
दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सल्लुजा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि विस्तीर्ण अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : गुनोखसिटी  
पूरकांश : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (बिकाल)  
फैक्षण : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwayji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/५८५७

दिनांक : २३/०४/१२

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विषयानुसार के.एस. महाविद्यालय, मौ. जिला- भिष्णु को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. द्वितीय वर्ष -(आ.पा. समाजशा. सैन्य विज्ञान, हिन्दी साहित्य, राजनीतिशा. अर्थशा., संस्कृत, इतिहास, भूगोल), बी.एस.-सी. द्वितीय वर्ष -(आ.पा. जननुविज्ञान, वनस्पति, रसायन, गणित, भौतिक.), बी.कॉम.-द्वितीय वर्ष, बी.एच.एस.-सी. द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- बी.एस.-सी. पाठ्यक्रम के लिये पाठ्यक्रमानुसार Chemical Glassware and उपकरण क्रय करें।
- पुस्तकालय के पाठ्यक्रमानुसार रु. 5,000/- प्रति विषय पुस्तकों क्रय करें।
- खेल मैदान विकासित करें। भवन एवं फर्नीचर को देखते हुये सत्र 2011-12 में बी.एस.-सी. हेतु 350 सीट प्रदान की जा सकती है।

आदेशानुसार  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

### प्रति,

- प्राचार्य, के.एस. महाविद्यालय, मौ. जिला- भिष्णु
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समरत पत्र व्यवहार कुलसाधिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए ज  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यह पूर्ण में पत्र  
व्यवहार ढुआ से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे यदिचा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसविव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बन्धिता/2009/ ४९६६

दिवांक: ०१९६।।२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सम्बद्ध के.एस. कॉलेज, नौ, भिण्ड को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषय थों की अस्याची सम्बद्धता हेतु अनुग्रांसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय रत्नाचारी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुर्गत विभागासार निरीक्षण समिति ३। गठन किया है :-

(१) दो दोनों क्षेत्री अन्वयी शैक्षिकी अध्यायबधारा, जी.वि.वि. खालियर। (संयोजक)

(1) प्रो. डॉ. सा. तिवारी, अ

(2) प्रा. अशाक शमा, आवाच, द्विनार्थक दृष्टि द्वारा विद्यालय, गवालेयर।

(3) श्री रघुनाथ मिश्र, व्यापकाला देवदास और उनके साथी अन्य व्यक्ति को अवृत्त भागिकालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिविवरण 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घोरहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राचीकृत संस्था से प्राप्त धन्यमात्रा/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीझ परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यज यज यज पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक स्टॉफ़ की विविततयों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के विषयाबृत्तार्थ 2012-13 के सभी सञ्चालन प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। इन समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तराधित है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण विधायित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विराटरूप के लिए इस आधिसूचना जारी होने के एवं माठ तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति ने उस सदस्यों के साथ किसी भी दिन सञ्चालित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय का आवश्यक उपजीवन के लिए समर्पित है। वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता अवधि की किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन टॉकियार नहीं किया जा सकेगा। वा ही भावाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बद्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शांति में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय को इन्हें देखने के लिए नियमित रूप से आवश्यकता नहीं है। विरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानवाधिकार विभाग द्वारा देव वर्तुलिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानवाधिकार विभाग द्वारा देव होगा।”

तीली लेकर जायेगे तथा महा  
डीए / मानदेव महाविद्याल  
  
कल्पनित

228

- प्रतिलिपे :-**

  - समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी दें। अवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - प्राचार्य अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि संभिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
  - आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
  - कुलाधिसभिता, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
  - कलपति के सचिव / कूलसचिव के जैविं सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कलसचिव (सम्बद्धता)